हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

01/08/2024

मुकदमा नम्बर– 965/2023
सुमन देवी बनाम अर्जुनलाल वगै0

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है, जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। उभय पक्षकारान को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई से पाबन्द किया हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायहीत में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है की पूर्व में दिनांक 28.12.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
...धाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.03.26 11:34:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner